न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2413/पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.09.2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 383/2001-02/अपील.

जयदेव पुत्र हरचरण
निवासी ग्राम छीमक, तहसील डबरा,
जिला ग्वालियर, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती कान्ता पत्नी उत्तमचंद गोयल
2. कुलदीप पुत्र श्री उत्तमचंद गोयल
3. योगेश पुत्र श्री उत्तमचंद गोयल
4. सुधीर पुत्र श्री उत्तमचंद गोयल
5. जैमनी पुत्र श्री उत्तमचंद गोयल
   समस्त निवासीगण मकान नं. 19,
   रामबाग कॉलोनी, शिन्दे की छावनी,
   तहसील व जिला ग्वालियर
6. अजायबसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
   निवासी ग्राम बाबूपुर तहसील डबरा
   जिला ग्वालियर, म.प्र.
7. दरवारासिंह पुत्र बंतासिंह
   निवासी ग्राम समाया, तहसील भितरवार,
   जिला ग्वालियर, म.प्र.
8. हरचरण पुत्र रामस्वरूप गुप्ता
   कोठी शारदा खादबीज भण्डार,
   ए.बी. रोड, नेहरू पेट्रोल पंप, गोल पहाड़िया
   लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.
9. कैलाशनाथ पुत्र कामता प्रसाद मृत द्वारा वारसान
   I. श्रीमती विमला पत्नी कैलाश नारायण

II. अरविंद पुत्र कैलाश नारायण

III. अनिल पुत्र कैलाश नारायण

निवासीगण ग्राम घरसोंदी, तह. भितरवार

जिला ग्वालियर, म.प्र.

10. मक्खनलाल पुत्र काशीराम

निवासी ग्राम छीमक तह. डबरा,

जिला ग्वालियर, म.प्र.

11. महेन्द्र पुत्र जगन्नाथ सिंह रावत

निवासी ग्राम देवरा तहसील डबरा,

जिला ग्वालियर, म.प्र.

12. प्रकाश पुत्र गोपीराम जाटव

निवासी ग्राम थरेट, तहसील इन्दरगढ़,

जिला दतिया, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 से 5 एवं 8 व 9

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 20.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक, वृत्त डबरा द्वारा नामांतरण पंजी 52 पर पारित आदेश दिनांक 27.03.1982 के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, डबरा के प्रकरण क्रमांक 157ए/80 ई.डी. के अनुसार ग्राम छीमक की भूमि सर्वे क्रमांक 887/1 पर राजस्व अभिलेख में अमल के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तमचंद गोयल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 39/93-94/अपील दर्ज कर आदेश दिनांक 28.01.2002 से अपील स्वीकार कर प्रकरण

आवश्यक निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.09.2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने व्यवहार न्यायालय के निर्णय के वास्तविक परिणाम पर विचार किए बिना ही विवादित आदेश पारित किये हैं, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

(2) आवेदक ने अपने स्वत्व की भूमि का कभी विक्रय नहीं किया। आवेदक का नामांतरण व्यवहार न्यायालय ने उक्त वाद के वादी का स्वत्व विवादित भूमि पर नहीं माना। वादी को स्वत्व न होना मान्य करते हुए उसे स्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी। आवेदक का वास्तविक आधिपत्य एवं अधिकार होने से वादी की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उक्त निर्णय एवं डिक्री अंतिम हो चुकी है तथा राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है।

(3) प्रकरण में विवादित भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत हो गये हैं तथा अनावेदकगण (क्रेतागण) को स्वत्व प्राप्त होना सिद्ध नहीं हो सका है।

(4) आवेदक का नामांतरण दिनांक 27.03.1982 को होने के 11 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई प्रथम अपील ग्रहण किये जाने योग्य ही नहीं थी। अपीलीय न्यायालयों ने आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों (लिखित बहस) पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

(5) मूल भूमिस्वामी धनीराम के जीवनकाल से ही आवेदक का विवादित भूमि पर वास्तविक, शांतिपूर्ण एवं खुला आधिपत्य चला आ रहा है, जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा भी मान्य किया गया है। विधि के प्रभाव से भी आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं। तथाकथित विक्रय आधिपत्य के अभाव में व्यर्थ एवं निष्प्रभावी था, ऐसे अपूर्ण विक्रय से क्रेता को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते। अतः क्रेतागण को अपना नामांतरण कराने का अधिकार ही नहीं है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक का नामांतरण आदेश दिनांक 27.03.1982 स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 से 5 एवं 8 व 9 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गये तथा शेष अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अनावेदक क्र. 1 से 5 एवं 8 व 9 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 27.03.1982 निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने सभी को सुनकर पुन: आदेश करने के लिए प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक को तहसील न्यायालय में सुनवाई का अवसर उपलब्ध है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित एवं वैधानिक तथ्यों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2006 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2006 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2002 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर